संख्या- 6/ 2017/ 506/ 77-1-2017-01(बजट)/ 2015टीसी

प्रेषक,

इन्द्रसेन,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 24 मई, 2017

विषयः दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0, बरेली, की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केल्टन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस सीट बनवाये जाने, मुकदमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/ 2017/ बी-1-02/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/ 2017/ बी-1-348/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 20.03.2017 में जारी निर्देशों के अनुसरण में दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) बरेली की अवशेष सम्पत्तियों की बिक्री होने तक स्केल्टन स्टाफ के मानदेय, बैलेंस सीट बनवाये जाने, मुकदमों की पैरवी व अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान तथा अन्य प्रकीर्ण मदों में व्यय हेतु प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु रू0 3,75,000.00 (रूपया तीन लाख पचहत्तर मात्र) का ऋण वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं-

1. उक्त स्वीकृत ऋण की धनराशि रू0 3,75,000.00 (रूपया तीन लाख पचहत्तर मात्र) वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली पी.एल.ए. में रखी जायेगी। जहाँ से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत व्यय की जायेगी।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/ 2017/ बी-1-02/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/ 2017/ बी-1-348/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 20.03.2017 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
4. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
5. स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त बरेली मण्डल बरेली के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।

7. दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) बरेली, द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजेः-

(क)- कोषागार का नाम।

(ख)- चालान संख्या व दिनांक।

(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ

8. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

9. ऋण की एकमुश्त वापसी कंपनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से की जायेगी।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-01-वस्त्र उद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-07-आई0टी0आर0 कंपनी, बरेली के विविध प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा।

11. उक्त धनराशि का पुनर्विनियोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/ 2017/ बी-1-02/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/ 2017/ बी-1-348/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 20.03.2017 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रसेन)
उपसचिव।

संख्या- 6/ 2017/ 506(1)/ 77-1-2017-01(बजट)/ 2015टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी, बरेली।
3. कोषाधिकारी, बरेली।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/ 2017/ बी-1-02/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या- 3/ 2017/ बी-1-348/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 20.03.2017 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली/ प्रभारी, दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन (आई0टी0आर0) कंपनी बरेली, को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ 4, उ0प्र0 शासन।
8. औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रसेन)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in